रामकरण बनाम
62/[illegible]

07/5/25 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] प्रस्तुत [illegible]। प्रतिलिपि [illegible] अप्रार्थीगण 1 ता 6 व 7 के विरुद्ध [illegible] अप्रार्थी को [illegible] तलब T.S. हेतु पत्रावली दिनांक 14/5/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

14/5/25 — पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 अन्य राज्य कार्य में व्यस्त [illegible] कार्यवाही पूर्वानुसार दिनांक 22/5/25 को पेश हो।

22/5/25 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 को ता-फैसला दावा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली नक्शा से कब्जा [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Read

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर
द्वितीय (सांगानेर)।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या :- 62/2025

रामकरण पुत्र बद्री जाति जाट
निवासी ग्राम केश्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर। ....प्रार्थी/वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्रवण जाति जाट
2. देवा पुत्र गणेश जाति जाट
3. बालूराम पुत्र बद्री जाति जाट
4. राजाराम पुत्र श्रवण जाति जाट
5. रामलाल पुत्र छोटू जाति जाट
6. हजारीलाल पुत्र श्रवण जाति जाट
निवासीगण ग्राम केश्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
पता तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय
पता:- तहसील कार्यालय सांगानेर, जयपुर।
9. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक
पता- शाखा मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.........अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, व आदेश 39 नियम 1 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

श्रीमान् जी,

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यह कि प्रार्थी द्वारा ठोस आधारों पर आधारित उपरोक्त शीर्षकीय वाद पत्र माननीय न्यायालय में समक्ष विधिवत रूप से प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता की प्रार्थी को पूरी-पूरी आशा है।

क्रमशः....2

उ.नि.
21/5/20..